संख्याः-128/XVII-3/2019-09(07)/2017

प्रेषक,

आर.के. तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 29 जुलाई, 2019

विषयः– केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व नाम–एम.एस.डी.पी.)(80:20) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर के मानक मजरा ईदगाह में सी.सी. रोड के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2488/XVII-3/2017–09(07)/2017, दिनांक 19.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) योजनान्तर्गत प्रश्नगत सी.सी. रोड के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹7.25लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹4.05लाख (केन्द्रांश ₹3.24लाख+राज्यांश ₹0.81लाख) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस संबंध में आपके पत्रांक–276/नि.अ.क./CC-Road मानक मजरा/द्वितीय किश्त/2018–19 दिनांक 10.07.2019, शासनादेश सं0–2488/XVII-3/2017–09(07)/2017, दिनांक 19.02.2018 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29.03.2019 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या– MsDP/82/2017–MsDP-MoMA, दिनांक 07.02.2019 के द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रश्नगत सी.सी. रोड के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹2.56लाख तथा उक्त के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश की धनराशि ₹0.64लाख अर्थात कुल ₹3.20लाख (₹ तीन लाख बीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.02.2019 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि को समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर यथाशीघ्र कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त कार्य को सम्पादित कराते समय भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की गाईडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था से निष्पादित एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन के हस्तान्तरण की कार्यवाही ससमय सम्पन्न की जायेगी।
5. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेर्षित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जायेगा।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

8. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।
9. अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. शेष शर्तें/प्राविधान पूर्व शासनादेश दिनांक 19.02.2018 के अनुसार लागू होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–15 के लेखाशीर्षक 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800–00–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी. संख्या-5190701500015 दिनांक 29 जुलाई, 2019 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.03.2019 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर.के. तोमर)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–1281 (1)/XVII-3/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
7. महाप्रबन्धक, 'ब्रिडकुल' इकाई कार्यालय अवस्थापना भवन, राजकीय आई.टी.आई. निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, 'ब्रिडकुल' परियोजना इकाई, देहरादून।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
10. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(आर.के. तोमर)
संयुक्त सचिव।